"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021 — फाल्गुन 18, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 (फाल्गुन 18, 1942)

क्रमांक-3922/वि. स./विधान/2021. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 4 सन् 2021) जो मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 4 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल के द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 5 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(3) अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा."

स्पष्टीकरण :-

1. इस धारा के प्रयोजन हेतु अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) है.

2. मुख्य विद्युत निरीक्षक का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा - 2 की उपधारा - 21 में है.

3. उत्पादन केन्द्र का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा-2 की उपधारा-30 में है.

4. विद्युत लाइन का अर्थ वही होगा, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 सन् 2003) की धारा-2 की उपधारा-20 में है.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की सगत धाराओं के अंतर्गत विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) का अनुकूलन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है. तदनुसार यह अधिनियम राज्य में 01 नवम्बर 2000 से प्रभावशील है. राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं एवं उत्पादन संयंत्रों द्वारा बिजली की खपत अथवा बिजली के विक्रय पर विद्युत शुल्क का अधिरोपण छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित है.

विद्युत शुल्क की वसूली की वर्तमान व्यवस्था अनुसार राज्य की विद्युत वितरण कंपनी, उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली पर देय विद्युत शुल्क की वसूली का दायित्व वितरण लाइसेंसी पर है और तदनुसार वितरण लाइसेंसी उपभोक्ता को जारी किए गए मासिक बिजली बिल में विद्युत शुल्क की राशि सम्मिलित कर, विद्युत शुल्क वसूल कर राज्य की संचित निधि में जमा करती है. यदि उपभोक्ता द्वारा बिजली बिल की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन को विच्छेदित कर वसूली को प्रभावी करने की व्यवस्था प्रचलन में है. इस प्रकार राज्य के सामान्य उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क की वसूली की प्रक्रिया व्यवस्थित होने के साथ-साथ बकाया राशि की वसूली करने का दायित्व, राज्य के विद्युत वितरण कंपनी पर रखा गया है. उपभोक्ताओं द्वारा खपत की गई बिजली पर देय विद्युत शुल्क की वसूली, राज्य के विद्युत वितरण कंपनी से अग्रिम अथवा बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली होने पर, उक्त वसूली के साथ-साथ प्राप्त हो जाती है.

लेकिन विद्युत के उत्पादक द्वारा स्वयं एवं आक्जलरी खपत के अंतर्गत खपत की गई बिजली की यूनिट्स एवं राज्य के किसी उपभोक्ता अथवा विद्युत के वितरण लायसेंसी को थोक में बेची गई बिजली पर देय विद्युत शुल्क को जमा करने का दायित्व विद्युत के उत्पादक पर होने से, ऐसे विद्युत उत्पादकों द्वारा देय विद्युत शुल्क के भुगतान में चूक अथवा विलंब होने के फलत: विद्युत शुल्क के मद में ब्याज सहित वसूली योग्य बकाया राशि की वसूली बाधित हो जाती है क्योंकि बकाया राशि की वसूली के लिए भू-राजस्व की वसूली की प्रक्रिया का पालन करना होता है जो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है.

अत: उपरोक्त परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि विद्युत उत्पादकों द्वारा देय विद्युत शुल्क की वसूली के लिए विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 5 में वसूली हेतु प्रावधानित वर्तमान उपबंधों के साथ-साथ ऐसे संयंत्रों के लाइन विच्छेदित करने हेतु नया उपबंध सम्मिलित करने पर विचार किया जाए.

ऊपर वर्णित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) में और संशोधन करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 2 मार्च, 2021

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं (2) का सुसंगत उद्धरण -

कर और ब्याज की वसूली

5(1) शुल्क की अवशेष राशि या अवशिष्ट प्रपत्र में दर्शित ऐसी दर से देय होगा जो परिस्थिति में विहित हो.

5(2) राज्य सरकार को वसूली हेतु उपलब्ध किसी रीति पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए कोई कर और उस पर बढ़ा हुआ ब्याज यदि कोई हो तो, उसी रीति से वसूल किया जाएगा मानों कि वह भू-राजस्व का बकाया हो.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.